उत्तर प्रदेश शासन

निर्वाचन अनुभाग

संख्या: 8/2016/223/61-2016

लखनऊ दिनांक: 14 मार्च:2016

कार्यालय-ज्ञाप

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के राज्य कर्मचारियों, दैनिक वेतन/वर्कचार्ज एवं संविदा पर नियुक्त कार्मिकों हेतु समय-समय पर नीति निर्धारित की जाती है।अत: सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल निर्वाचन विभाग में नियुक्त राज्य कर्मचारियों, दैनिक वेतन/वर्कचार्ज एवं संविदा पर नियुक्त कार्मिकों पर राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नीतियों का अनुसरण किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

अरूण सिंघल

प्रमुख सचिव।

संख्या: 8/2016/223/61-2016 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2- समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

3- समस्त उप/सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

4- कार्मिक अनुभाग-2

आज्ञा से,

(एस0 पी0 उपाध्याय)

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in